न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2012 रिव्यू 3392-PBR/12

मेसर्स ओयसिस. डिस्टलरीज लिमिटेड, जिला–धार

.... आवेदक

विरूद्ध

(1) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–धार

(3) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, इन्दौर

(4) जिला आबकारी, अधिकारी, जिला–धार (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1151/पी.बी.आर./2011 अपील में पारित आदेश दिनांक 04.05.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62(2) के अधीन पुनर्विलोकन।

ओमप्रकाश डिण्डोरी आदि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 3392—पीबीआर/12 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6—6—2014	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :— 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण 2 आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन	

रिव्यू 3392/PB/24/12

का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष